<table>
<tr><td>तारीख
हुक्म</td><td>फर्द अहकाम
(नियम 15)
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
अशोक सिधंल बनाम लो0 सू0 अधि0 एवं अति0 जिला कलक्टर धौलपुर
प्रथम अपील, (मु0संख्या 23/2024)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2024/44)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</td></tr>
<tr><td>07.10.2024</td><td>अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। इस न्याया0 के पत्र कमांक कोर्ट/2023/187 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर बिन्दुबार टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया तथा स्मरण पत्र कमांक कोर्ट/2024/199 दिनांक 20.09.2024 जारी किया गया परन्तु उनकी बिन्दुबार टिप्पणी प्राप्त प्राप्त नहीं हुई।
अतः हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में तीन बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है। बिन्दु संख्या–1 की सूचना तहसीलदार धौलपुर से सबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांक संर्पक/सू0अ0/2024/136 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार धौलपुर को अपीलान्ट का आवेदन पत्र स्थानान्तरित किया गया है। अपीलान्ट को बिन्दु संख्या–1 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार धौलपुर से अगर प्राप्त नहीं हुई है तो उसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार धौलपुर के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार उप खण्डाधिकारी धौलपुर को प्राप्त है।
अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबध में जो सूचना चाही है उसमें आदेशों/निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रति चाही है, कौन से आदेश/निर्देश है वह स्पष्ट अंकित नहीं है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह संबधित पत्रावली का अवलोकन कर सूचना से सबंधित पत्रों को इंगित कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः यह प्रथम अपील उक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर</td><td></td></tr>
</table>